



भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं. आईआरडीएआई/आईएण्डएटी/ओआरडी/एमआईएससी/78/3/2023

Ref. No. IRDAI/I&AT/ORD/MISC/78/3/2023

31.03.2023

आदेश
ORDER

विनियामक सैंडबाक्स संबंधी समिति
Committee on Regulatory Sandbox

1. प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 के अधीन फाइल किये गये आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए आदेश सं. आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विनि.सैंडबाक्स/195/10/2019 दिनांक 25.10.2019 के अनुसार एक समिति का गठन किया था। उपर्युक्त समिति का कार्यकाल प्रत्येक एक वर्ष की दो अवधियों के लिए अर्थात् 24.10.2022 तक आगे बढ़ाया गया।
The Authority vide Order No. IRDA/INT/ORD/Reg.Sandbox/195/10/2019 dated 25.10.2019 had constituted a Committee to evaluate applications filed under IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019. The said Committee was further extended for two terms of one year each i.e. upto 24.10.2022.

2. आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2022 की अधिसूचना के अनुसरण में, आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया निरंतर कर दी गई है। विनियामक सैंडबाक्स के अंतर्गत फाइल किये गये आवेदनों/प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए, आईआरडीएआई निम्नलिखित संरचना के साथ विनियामक सैंडबाक्स संबंधी समिति का पुनर्गठन करता है:-
Pursuant to the notification of IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2022, the process for filing of applications has been made perpetual. In order to evaluate the applications/proposals filed under Regulatory Sandbox, IRDAI reconstitutes the Committee on Regulatory Sandbox with the following composition:-

- i) सदस्य (एफएण्डआई), आईआरडीएआई-अध्यक्षता
Member (F&I), IRDAI in the Chair
- ii) श्री नितिन चुघ, डीएमडी एवं प्रधान (डिजिटल बैंकिंग), भारतीय स्टेट बैंक-सदस्य
Mr. Nithin Chugh, DMD & Head (Digital Banking), SBI-Member
- iii) श्री अभिषेक कथूरिया, सहायक प्रोफेसर, सूचना प्रणाली, आईएसबी-सदस्य
Mr. Abhishek Kathuria, Assistant Professor, Information System, ISB-Member
- iv) श्री पंकज सेटिया, प्रोफेसर (सूचना प्रणाली) एवं आईआईएमए अध्यक्ष प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद-सदस्य
Mr. Pankaj Setia, Professor (Information Systems) & IIMA Chair Professor, IIM Ahmedabad-Member

- v) श्री राकेश रंजन, मुख्य डिजिटल अधिकारी (सीडीओ), भारतीय रिज़र्व बैंक नवोन्मेषण हब-सदस्य
Mr. Rakesh Ranjan, Chief Digital Officer (CDO), RBI Innovation Hub-Member
- vi) श्री विशाल गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट (उत्पाद प्रबंध), फोनपे-सदस्य
Mr. Vishal Gupta, Vice President (Product Management), PhonePe-Member
- vii) टीम इंश्योरटेक, आईआरडीएआई-संयोजक
Team InsurTech, IRDAI-Convener

नोडल विभाग का संबंधित सदस्य अथवा विभाग-प्रमुख भी उपर्युक्त समिति में आमंत्रित होगा।

The respective Member or HOD of the Nodal Department would also be an Invitee in the above said Committee.

3. मोटे तौर पर समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार दिये जाते हैं :-

The broad terms of reference of the Committee is provided as under: -

- i) विनियामक सैंडबाक्स और अंतर-परिचालनीय विनियामक सैंडबाक्स के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) करना।
Screening of applications received under Regulatory Sandbox and Inter-Operable Regulatory Sandbox.
- ii) प्रस्तावित हाइपोथीसिस (संकल्पना) के परीक्षण अभिकल्प का मूल्यांकन करना।
Evaluating the test design of the proposed hypothesis (concept).
- iii) प्रयोग हेतु स्वीकार किये जाने के लिए आवेदनों की सिफारिश करना।
Recommending the applications for taking up for experimentation.

4. समिति एक मिश्रित पद्धति में कम से कम महीने में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। बैठक का संयोजन करने के लिए तीन बाह्य सदस्यों का कोरम अपेक्षित होगा।

The Committee shall meet in a hybrid mode at least once in a month or as may be required. The quorum of three external members would be required for convening the meeting.

5. समिति की कार्यावधि दो वर्ष की होगी।

The Committee shall have a term of two years.

मुख्य महाप्रबंधक (जीए एण्ड एचआर)/ CGM (GA & HR)